कार्यालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी।

पत्र सं0:–क–08 /2022 दिनांक:जून 30 ,2022

निविदा सूचना

सूचित किया जाता है कि पुलिस कर्मियों जलपान सुविधा के दृष्टिगत पुलिस लाइन, कमिश्नरेट वाराणसी परिसर स्थिति ''वेट कैन्टीन'' को वित्तीय वर्ष–2022–23 के लिए **''किराये के आधार पर''** दिये जाने हेतु निविदा **दिनांक–22..06.2022** .को आमंत्रित की जाती है। प्रातः 10.00 बजे से 14.00बजे तक डाली गयी निविदा ही मान्य होगा, इसके पश्चात् लाये गये निविदा को स्वीकार नही किया जायेगा। इच्छुक फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार उपरोक्त निर्धारित तिथि से पूर्व निविदा फार्म शुल्क रू0 100/–जमा कर पुलिस कार्यालय वाराणसी से किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर निर्धारित फार्म प्राप्त कर सकते हैं। टेण्डर फार्म के साथ अर्नेस्टमनी के तौर पर रू0 5000/–(रू0 पॉच हजार) जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने पर संबंधित फर्म की निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी ।

फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार द्वारा टेण्डर फार्म लेने के लिए आवेदन के साथ अपना स्थाई एवं अस्थाई पता/ मोबाइल नम्बर आदि के साथ ही पहचान–पत्र के तौर पर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पत्र अथवा इसी रूप में स्वीकार किए जाने योग्य स्थाई दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति के साथ आयकर प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यदि दस्तावेजों के सत्यापन में अथवा भविष्य में कभी भी कोई दस्तावेज अथवा अन्य कोई तथ्य असत्य पाया गया तो फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार की अर्नेस्टमनी तत्काल जब्त करते हुए स्वीकृत निविदा भी निरस्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही उनके विरूद्ध प्रचलित कर दी जाएगी।

यह निविदा निम्नलिखित शर्तो के अधीन वित्तीय वर्ष–2022–23 तक प्रभावी रहेगा, टेन्डर फार्म शुल्क संबंधित को वापस नही किया जायेगा । डाली गयी निविदा उसी तिथि को ही समय 1600बजे दिन मे अद्योहस्ताक्षरी अथवा प्रतिनिधि किसी राजपत्रित अधिकारी/गठित समिति द्वारा खोला जायेगा ।

1– टेण्डर बन्द लिफाफे में जमा किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर शीर्षक के तौर पर वेट कैन्टीन टेंडर लिखा होना चाहिए।

2– वेट कैन्टीन पुलिस लाइन वाराणसी परिसर के मेस नं0–1 से लगे दाहिनी ओर अवस्थित हाल व आंगन का उपयोग किया जायेगा। उसके अतिरिक्त कोई भी स्थान वेट कैन्टीन के लिए प्रयोग नही किया जायेगा ।

3– पुलिस लाइन वैट कैन्टीन के उपयोग हेतुं लायी जाने वाली बिजली का पूरा खर्च फर्म/व्यक्ति/ ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। इस खर्च को निविदा हेतु प्रस्तुत पूरी राशि से न ही घटाया जा सकेगा, न ही अलग से जोडा जाएगा।

4– वेट कैन्टीन मे बिक्री हेतु दर की स्वीकृति निविदा के उपरान्त अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की जाएगी।

5– वेट कैन्टीन में किसी भी दशा में बाल कर्मियों को काम में नहीं लगाया जाएगा तथा कैन्टीन मे किसी भी दशा मे धूम्रपान से संबंधित बस्तुए गुटखा, सिगरेट, शराब आदि विक्री नही की जायेगी साथ ही केन्द्रीय/उ0प्र0राज्य से प्रतिबंधित बस्तुओ का विक्रय भी नही किया जायेगा । तम्बाकू निषेध अधिनियम का पूर्णतया पालन करना अनिवार्य होगा ।

6– वेट कैन्टीन में प्रत्येक प्रकार की स्वच्छता को बनाए रखना होगा तथाा कैन्टीन के उपयोग लाये जाने वाले पानी खर्च का अलग से संबंधित फर्म/ठेकेदार/व्यक्ति द्वारा वहन करना होगा ।

7– वेट कैन्टीन हेतु निर्धारित बडे से कक्ष/भवन/स्थान के मूलभूत संरचना व स्थाई दीवारों आदि के साथ किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। किसी भी प्रकार के निर्माण अथवा अस्थाई परिवर्तन हेतु अद्योहस्ताक्षरी से लिखित स्वीकृत प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

8– निविदादाता द्वारा पूर्व मे पुलिस विभाग/अन्य विभाग के कैन्टीन संचालन का अनुभव प्रमाण–पत्र अथवा प्रपत्र संलग्न किया जाना होगा ।

9– वेट कैन्टीन फर्म/ठेकेदार का द्वारा निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त 05 दिवस के अन्दर रू0–40,000–00 का एफडी/नकद धनराशि, मूल प्रपत्र जमानत धनराशि के रूप मे जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अर्नेष्टमनी धनराशि वापस पाने का हकदार होगा तथा निविदा शर्तो के विपरीत संचालन करने पर जमानत धनराशि जब्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी का होगा ।

उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए निविदा उस फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी निविदा धनराशि अधिकतम एवं उसकी विश्वसनीयता प्रमाणित होने के आधार पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी तथा किसी निविदा को स्वीकार करने हेतु अद्योहस्ताक्षरी बाध्य नही होगे तथा सशर्त निविदा मान्य नही होगी तथा निविदा को निरस्त करने का अद्योहस्ताक्षरी को सम्पूर्ण अधिकार होगा।

उक्त शर्तो के अलावा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता, गन्दगी, दुर्व्यवहार एवं महिला सुरक्षा संबंधित शिकायत अथवा अन्य किसी प्रकार के कारण पाये जाने पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निविदा एक माह की नोटिस देकर फर्म/ठेकेदार से पूर्ण किराया वसूल करते हुए निरस्त किया जा सकेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा ।

पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय एवं अपराध
वाराणसी ।

प्रतिलिपिः– अपर पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय/म0अपराध एवं सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित

2. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, जोन काशी/बरूणाा को आवश्यक कार्यवाही एवं प्रचार हेतु।

3. समस्त थाना प्रभारी कमिश्नरेट/वाराणसी ग्रामीण को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार–प्रसार हेतु

4 प्रतिसार निरीक्षक को प्रचार एवं प्रसार एवं निविदा से संबंधित समस्त कार्यवाही समय पूर्ण कराते हुए कैन्टीन संचालित कराये जाने के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही हेतु ।